छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण कमांक 368/2007</u>

1. **श्रीमती प्रमोदनी द्विवेदी,** - *शिकायतकर्ता*
   पत्नि श्री एस0डी0 द्विवेदी,
   स्टेडियम रोड़ कोटा, वार्ड कमांक-12,
   रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** - *अनावेदक*
   कार्यालय आयुक्त नगर निगम,
   रायपुर (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 25 मार्च, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्रीमती द्विवेदी ने आयुक्त, नगर निगम, रायपुर के यहाँ दिनांक 02.04.2007 को जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु संबंधित जानकारी समय पर प्रदाय नही करने के कारण दिनांक 26.05.2007 को आयोग के समक्ष यह शिकायत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण में शिकायतकर्ता के पति श्री एस0डी0 द्विवेदी तथा जन सूचना अधिकारी, नगर निगम, रायपुर की सुनवाई की गई तथा प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रकरण में पूर्व में दिनांक 04.07.2007 को त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रदाय की गई थी और पता गलत होने से विलंब होना बताया गया था तथा मकान के क्षेत्रफल के बारे में त्रुटिपूर्ण जानकारी होने के कारण स्थल निरीक्षण कराकर सही जानकारी देने के निर्देश दिये गये थे, तत्पश्चात् सही जानकारी दी गई थी, किन्तु नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण होना बताया गया था, जबकि अवैध निर्माण रोकने हेतु आयुक्त, नगर निगम को निर्देश दिये गये थे और नोटिस के बाद भी जिन अधिकारियों को निर्माण कार्य रोकने की जिम्मेदारी थी उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये गये तथा दिनांक 04.10.2007 को व्यवहार न्यायालय से स्थगन मिलना बताया गया । प्रकरण में विलंब के लिए जन सूचना अधिकारी को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया और शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 400/- रूपये अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत प्रदाय करने के निर्देश दिये गये थे । जन सूचना अधिकारी ने बताया कि नगर निवेश अधिकारी व कार्यपालन प्रभारी जोन कमांक-1 से जानकारी नही मिलने के कारण पालन नही हो सका, अत: इन दोनों को भी दस हजार रूपये प्रत्येक को

शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया और आयुक्त, नगर निगम को दोषी अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये गये थे । प्रकरण में श्री एम0के0 गुप्ता, नगर निवेशक तथा श्री राकेश गुप्ता, जोन प्रभारी, जोन कमांक-1 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर दिया गया । प्रकरण के रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि नगर निवेशक द्वारा आवेदन प्राप्त होते ही दिनांक 09.04.2007 को जोन कार्यपालन प्रभारी, जोन कमांक-1 को पत्र भेज दिया था, किन्तु जोन कार्यपालन प्रभारी ने अपने उत्तर में यह बताया है कि उनके द्वारा जानकारी दिनांक 03.10.2007 को नगर निवेशक को भेजी गई और दिनांक 24.08.2007 का जोन कमांक-1 एक का पत्र संलग्न है, जिसमें पूर्व में त्रुटिपूर्ण जानकारी नही देने का उल्लेख करते हुए स्थल निरीक्षण करके रिपोर्ट देना बताया गया है । इस संबंध में समस्त रिकार्ड को देखने से जन सूचना अधिकारी, नगर निगम तथा नगर निवेशक द्वारा प्रकरण में किसी भी प्रकार का विलंब नही होना पाया जाता है, अत: इन दोनों के विरूद्ध जारी किया गया कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है, किन्तु प्रारंभ में विलंब से एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी देना और बाद में भी आयोग के निर्देशों के पालन में विलंब करने के लिए श्री राकेश गुप्ता, जोन प्रभारी, जोन कमांक-1 को दोषी पाया जाता है तथा उनका उत्तर भी संतोषप्रद नही है, अत: प्रस्तावित शास्ति में से थोड़ा उदार रूख अपनाते हुए उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत 2500/- (दो हजार पॉच सौ) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है । प्रकरण में चूंकि एक पडोसी के मकान के संबंध में व्यवहार न्यायालय ने स्थगन दिया है, अत: अब यदि शिकायतकर्ता चाहे तो स्वयं पक्षकार बनकर आगामी कार्यवाही कर सकते हैं और इस संबंध में आयोग की ओर से अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नही होती है । प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध नगर निगम द्वारा कार्यवाही प्रारंभ किया जाना बताया गया है, अत: इस संबंध में निर्देश दिये जाते हैं कि कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाकर की गई कार्यवाही की सूचना आवेदक को भी दी जावे और आयोग को भी अवगत कराया जावे । प्रकरण में पूर्व में क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 400/- रूपये प्रदाय करने के निर्देश दिये गये थे, उसका भुगतान किया गया है अथवा नही रिकार्ड से स्पष्ट प्रतीत नही होता है, यदि क्षतिपूर्ति का भुगतान नही किया गया है तो एक सप्ताह में भुगतान किया जावे ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त